

राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा
निर्वाचन सदन, प्लाट नं० 2, सैक्टर 17
पंचकूला

अधिसूचना

क्रमांक:रा०नि०आ०/३ई-11/2010/6819

दिनांक:27.08.2010

हरियाणा पंचायती राज अधिनियम,1994 की धारा 161 की उप-धारा (4) का अनुसरण करते हुये, हरियाणा राज्य निर्वाचन आयुक्त, एतद् द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों के नाम जो जिला परिषद के प्रधान और उप-प्रधान निर्वाचित हुये हैं, अधिसूचित किए जाते हैं:-

जिला परिषद का नाम	नाम सर्व/श्री/श्रीमति	पिता/पति का नाम	पद का नाम
अम्बाला	पिंकी देवी	स्वर्ण सिंह	प्रधान
-सम-	गीता देवी	चमन लाल	उप-प्रधान

दिनांक पंचकूला
26 अगस्त, 2010

धर्मवीर
राज्य निर्वाचन आयुक्त,हरियाणा